राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या – 88/2015
अर्न्तगत
अपील संख्या – 1831/2001
गीगालाल कुमावत

–प्रार्थी–अपीलार्थी

बनाम

1. श्री सुवालाल, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर एवं अन्य।

–अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 28.10.2015
आदेश की दिनांक : 01.05.2024

उपस्थित :–

प्रार्थी–अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक
अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री सुरेश अग्रवाल, ओ.आई.सी.

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रार्थी–अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अवमानना प्रार्थना पत्र अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना करते हुये कथन किया है कि अधिकरण द्वारा अपील संख्या 1831/2001 में पारित निर्णय दिनांक 03.07.2015 जिसमें निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था :–

"(1) अपीलार्थी सेवानिवृत्ति तिथि 31.03.2001 को वेतन श्रृंखला 6500–10500 में मूल वेतन रूपये 8900/– के स्थान पर रूपये 9700/– पाने का हकदार है।

(2) अपीलार्थी का मूल वेतन रूपये 9700/– मानते हुए पी.पी.ओ., जी.पी.ओ. और सी.पी.ओ. को संशोधित किया जावे तथा संशोधित पी.पी.ओ., जी.पी.ओ. और सी.पी.ओ. की बकाया राशि पर 9% ब्याज सहित भुगतान दिया जावे।

(3) रोकी गई ग्रेच्युटी राशि रूपये 1 लाख का भुगतान सेवानिवृत्त तिथि से गणना करते हुए भुगतान तिथि तक 9% ब्याज सहित दिया जावे।

(4) माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालयों ने विभिन्न न्यायिक दृष्टिंतों में परिपेक्ष्य में आक्षेपित आदेशों के अनुसरण में यदि अपीलार्थी से कोई वसूली की गयी हो तो उसे लौटाया जावे तथा अधिकरण द्वारा पारित स्थगन आदेश 30.07.2001 की पुष्टि की जाती है।

आदेश की पालना तीन माह में की जावे।''

उनका कथन है कि माननीय अधिकरण के आदेश की पालना अप्रार्थी–प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियत समयावधि निकलने के बाद भी आदेश की पालना नहीं करते हुये आदेश की अवमानना की है। अतः उक्त कृत्य के लिये दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी–प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अवमानना प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करते हुये कथन किया है कि आदेश दिनांक 03.07.2015 की अनुपालना में प्रार्थी–अपीलार्थी का मूल वेतन रूपये 9700/– मानते हुये पीपीओ, सीपीओ, जीपीओ आदेश दिनांक 01.08.2018 को जारी किया जा चुका है। प्रार्थी–अपीलार्थी को उसकी ग्रेच्युटी में से रोकी गई राशि एक लाख रूपये लौटाई जा चुकी है। प्रार्थी–अपीलार्थी को उपरोक्तानुसार मिलने वाला ब्याज रूपये 3,36,335/– का भुगतान भी किया जा चुका है और इस प्रकार अधिकरण के आदेश दिनांक 03.07.2015 की अनुपालना में किसी भी प्रकार का कोई बकाया राशि प्रत्यर्थी विभाग में शेष नहीं है। अतः उक्त अवमानना याचिका ड्रॉप फरमाई जावे।

अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण के राजकीय विद्वान् अधिवक्ता द्वारा रि–कॉलिंग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें आदेश दिनांक 03.05.2019 पर बहस सुनी गई।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की अवमानना प्रार्थना पत्र एवं रि–कॉलिंग प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अनुशीलन कर मनन किया।

आदेश दिनांक 03.05.2019 जो अधिकरण द्वारा जारी किया गया है, जिसमें राशि रूपये 55,278/– का और भुगतान किये जाने का आदेश किया गया है तथा पत्रावली दिनांक 05.07.2019 को अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किये

जाने का आदेश फरमाया गया है। जहां तक रूपये 55,278/– का और भुगतान प्रार्थी–अपीलार्थी को किये जाने का प्रश्न है, अप्रार्थी–प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेशों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी–अपीलार्थी को नियमानुसार पूर्ण भुगतान किया जा चुका है, जिसमें किसी प्रकार कोई शेष भुगतान देय नहीं है। अतः उपर्युक्त तर्कों के आधार पर रि–कॉल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

जहां तक अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.07.2015 की पालना नियत समयावधि में नहीं किये जाने का प्रश्न है, हम अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण के इस तर्क से सहमत हैं कि आदेश दिनांक 03.07.2015 की अनुपालना में प्रार्थी–अपीलार्थी का मूल वेतन रूपये 9700/– मानते हुये पीपीओ, सीपीओ, जीपीओ आदेश दिनांक 01.08.2018 को जारी किया जा चुका है। प्रार्थी–अपीलार्थी को उसकी ग्रेच्युटी में से रोकी गई राशि एक लाख रूपये लौटाई जा चुकी है। प्रार्थी–अपीलार्थी को उपरोक्तानुसार मिलने वाला ब्याज रूपये 3,36,335/– का भुगतान भी किया जा चुका है। इस प्रकार हमारे मत में प्रार्थी–अपीलार्थी को अप्रार्थी–प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार पूर्ण भुगतान किया जा चुका है। अतः प्रार्थी–अपीलार्थी के तर्कों में कोई बल न होने के कारण अवमानना प्रार्थना पत्र ड्रॉप किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील संख्या 1831/2001 में पारित आदेश दिनांक 03.07.2015 के संबंध में प्रार्थी–अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अवमानना प्रार्थना पत्र ड्रॉप किया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य